FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ………… मुकाम …………

भानीबाई बनाम घीसे

करम मुकदमा ………… नं. 8/19 सन् …………

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
3/3/20	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता अपीलांट उप०। पत्रावली में आदेश नहीं लिखाया जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश अपील-प० मे दि० 11/3/20 को पेश हो। Sd/-	
11/3/20 -	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। पत्रावली में आदेश नहीं लिखाया जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 13/3/20 को पेश हो। Sd/-	
13/3/20 -	पत्रावली पेश हुई, अपीलांट अधिवक्ता उप०। अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर म०सं० 1314 राम रजगट निर्णय दि० 6/3/17 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूं को Remand किया जाता है कि मृतक नारायण के सही वारिसान के सम्बन्ध में जाँच कर पुनः नामान्तरण खोल प्रमाणित करने की कार्यवाही करें। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूं को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। Sd/-	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर आर.ए.एस

अपील संख्या :: 03 / 2019

बालीबाई पिता नारायण जी गुर्जर निवासी राजगढ हा.मु. पति रामलाल गुर्जर निवासी तोरणिया तहसील बेगूँ — अपीलान्ट

बनाम

1. हीरूबाई पति नारायण जी जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
2. प्यारीबाई पिता नारायण जी जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
3. श्री सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :: श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश दिनांक 13.03.2020

आदेश अपील नामानतरण संख्या 1314 ग्राम राजगढ ग्राम पंचायत राजगढ तहसील बेगूँ द्वारा निर्णित दिनांक 06.03.2017

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1314 ग्राम राजगढ ग्राम पंचायत राजगढ निर्णित दिनांक 06.03.2017 के लिए अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा मृतक झमकू पति नारायण की विरासत से जो नामान्तरण किया गया था उसमें मृतक झमकु पति नारायण के सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज नहीं किया जाने से उक्त नामानतरण प्रारम्भ से ही शुन्य होकर निरस्त होने योग्य है।

यह कि मृतक नारायण ने अपने जीवन काल में दो विवाह किये थे जिसमें एक पतिन का नाम झमकु व दुसरी का नाम हीरू विपक्षी संख्या एक है। पहली पत्नि झमकु के दो संताने पैदा हुई जिसमें एक अपीलान्ट है तथा भाई भोजा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है विपक्षी संख्या एक के दो संताने जिसमें एक विपक्षी संख्या 2 है तथा पुत्र देवा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मृतक नारायण की 1/2 भूमि झमकू के व 1/2 भूमि हीरूबाई व झमकू की मृत्यु पश्चात 1/2 भूमि प्रार्थीया/अपीलान्ट के दर्ज होनी चाहिए थी परनतु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया होने से नामान्तरण संख्या 1314 निरस्त होने योग्य है। मृतक नारायण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार से हैः—

नारायण फोत
|
झमकूबाई पत्नि फोत — हीरूबाई पत्नि वि.सं.1

झमकूबाई पत्नि फोत:
- बालीबाई पुत्री अपीलांट
- भोजा पुत्र लाऔलाद फोत

हीरूबाई पत्नि वि.सं.1:
- प्यारीबाई विपक्षी.2
- देवा पुत्र लाऔलादफोत

यह कि नामान्तरण संख्या 1314 से वर्तमान खतौनी संख्या 77 व 24 में कृषि आराजीयात संख्या 1018, 1033, 1034, 1036, 1039, 1042, 1044 कुल किता— 7 रकबा 3.13 हैक्टर व आराजी संख्या 1024 रकबा 0.06 हैक्टर कृषि

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

आराजीयात विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गयी है। राजस्व कर्मचारियो ने जो नामान्तरण संख्या 1314 खोला उसमें मृतक नारायण के सभी वारिसान का नाम दर्ज नहीं किये जाने से नामान्तरण संख्या 1314 निरस्तनीय होने से यह अपील नामान्तरण श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अपीलान्ट झमकु पति नारायण की जीवित संतान है जिसको विरासत से 1/2 भूमि प्रापत होनी चाहिए थी जिसका नाम नामा0 संख्या 1314 में दर्ज नहीं किया गया होने से उक्त भूमि 1/2 हक हिस्सा अपीलान्ट के दर्ज किये जाने हेतु यह अपील पेश है।

अपीलान्ट को उक्त भूमि पर किस केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 25.05.2019 को अपने पैत्रिक सम्पत्ति के खाते में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई जिस पर नामा0सं0 1314 की नकल प्राप्त कर यह अपील अन्दर अवधि श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अपील कारण दिनांक 28.05.2019 को नकले प्राप्त करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। अपीलान्ट का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील श्रीमान में प्रस्तुत है। साथ ही नामान्तरण निर्णय दिनांक 06.03.2017 से जानकारी दिनांक 28.05.2019 से मध्य की व्यतीत अवधि को क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 3 व 4 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम राजगढ प0ह0 राजगढ तह0 बेगूँ के नामान्तरण संख्या 1314 निण्रय दिनांक 06.03.2017 को निरस्त ुरमाया जाकर मौजा राजगढ पटवार हल्का राजगढ की आराजी संख्या 1018, 1033, 1034, 1036, 1039, 1042, 1044 कुल किता– 7 रकबा 3.13 हैक्टर कृषि आराजीयात में अपीलान्ट का 1/2 हक हिसा में भूमि दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें। एवं आराजी संख्या 1024 में भी नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट की न्यागालय मे प्रस्तुत होने के पश्चात दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1,2,3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये , प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 भूमिधारी उपस्थित आये जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस का निवेदन किया। पत्रावली पर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की सुनी गई। बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील पत्र अनुसार अपनी बहस को निवेदन करते हुए बताया कि नामान्तरण संख्या 1314 जो खोला गया है उसमें दर्शाये गये सजरे में नारायण गुज्रर के दो पत्नियां अंकित है जिसमें झमकू फोत व पत्नि हीरूबाई के पुत्र देवीलाल ना0बा0 फोत व पुत्री प्यारीबाई का नाम अंकित किया है, झमकूबाई के एक पुत्र मै अपीलान्ट पुत्री हुई हूँ झमकूबाई का पुत्र फोत हो चुका है। मै प्रार्थीया अपीलान्ट नारायण की पुत्री हूँ तथा नारायण के वारिसान में मुझ अपीलान्ट का नाम भी नामा0सं0 1314 में अंकित किया जाना चाहिए था जो नहीं कर नामान्तरण संख्या 1314 को खोला गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर मुझ अपीलान्ट का नाम भी वर्णित आराजीयात में अंकित किया जाने का आदेश फरमाया जावें। बहस में भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ द्वारा भाग नहीं लिया गया।

पत्रावली में अधिवक्ता अपीलान्ट की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, नकल नामान्तरण संख्या 1314 जो दिनांक 06.03.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा स्वीकृत किया गया है उक्त नामान्तरण विरासत खातेदार देवा पिता नारायण एवं झमकू पत्नि नारायण गुर्जर के बजाय खोला

-----लगातार

Scanned by CamScanner

जाकर नामान्तरण पर अंकित सजरा अनुसार नारायण के दो पत्नि झमकू फोत व पत्नि हीरूबाई का अंकन कर हीरूबाई के पुत्र देवीलाल ना0बा0 फोत व पुत्री प्यारीबाई का अंकन किया गया है। नामान्तरण के अवलोकन से पाया गया कि श्री देवा जो कि नाबालिग था जिसकी सरपरस्त माता झमकुबाई धर्म पत्नि नारायण गुर्जर थी के फोत होने पर उक्त नामा0सं0 1314 रेस्पोडेन्ट प्यारीबाई पत्नि नाराण हीरूबाई पत्नि नारायण गुर्जर के नाम पर खोला जाकर प्रमाणित किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 27, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 75 का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत भामाशाह कार्ड का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में बहस सुने जाने के पश्चात अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जन आधार अद्यतन की विस्तृत रिपोर्ट कम्प्युटर से निकलवाते हुए अपीलान्ट बाली बाई की प्रस्तुत की है जिसका हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया, अद्यतन रिपोर्ट जो कि बालीबाई के नाम से जारी है जिसमें बाली बाई के पिता का नाम नारायन व माता का नाम झमकू बाई लिखा गया है बाली के पति का नाम रामा लिखा गया है, आधार अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट मृतक नारायण की पुत्री व झमकूबाई की पुत्री होना प्रतीत होता है, जो नामानतरण नारायण व झमकू की विरासत से नामान्तरण संख्या 1314 खोला गया उसकी विस्तृत अधिनस्त न्यायालय द्वारा नहीं की जाकर उक्त नामान्तरण खोलने में त्रुटी किया जाना प्रतीत होता है, प्रकरण में मृतक नारायण व उसकी पत्नि झमकूबाई के सभी वारिसान की जॉच किये जाने के पश्चात ही विरासत का नामान्तरण खोला जाना न्यायसंगत होता है। अपीलान्ट बालीबाई मृतक नारायण की पुत्री है अथवा नहीं क्या अपीलान्ट बालीबाई की माता झमकूबाई थी अथवा नहीं मृतक नारायण के सभी वारिसान के नाम पर सही नामानतरण खोला गया है अथवा नहीं ? इसके सम्बन्ध में जॉच करा विरासत का सही नामान्तनण खोला जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 1314 ग्राम राजगढ निर्णित द्वारा ग्राम पंचायत राजगढ दिनांक 06.03.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपीलान्ट बालीबाई मृतक पिता नारायण व माता झमकूबाई की पुत्री होने के सम्बन्ध में पूर्णतया जॉच करते हुए पुनः नारायण की विरासत का नामान्तरण खोले जाने की कार्यवाही कर खोले गये नामान्तरण को प्रमाणित करें। आदेश की प्रति पालना हेतु तहसीलदार, बेगूँ को भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

सरिश्ता / 59 / 18.3.2020

-----लगातार

Scanned by CamScanner